न्यायालय :— अजय कुमार यदु, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म0प्र0)

/ /निर्णय/ /

(दिनांक 26.10.2023 को घोषित)

Registration No-	**RCT**	253/2023
Filing No-		1434/2023
C.N.R. No-		MP6801-001667/2023
Filing Date-		22-02-2023

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	म. प्र. राज्य द्वारा थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र लालबाग, जिला बुरहानपुर (म0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रतनसिंह भंवर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी।
अभियुक्त	राकेश पुत्र श्री जगन्नाथ, आयु 35 वर्ष, निवासी— धनगर मोहल्ला, थाना लालबाग जिला बुरहानपुर म.प्र.।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हर्षल विस्पुते अधिवक्ता।

अपराध की तिथि	25.01.2023
प्र.सू.रि. की तिथि	27.01.2023
आरोप पत्र की तिथि	22.02.2023
आरोपों के विरचना की तिथि	09.05.2023
साक्ष्य प्रांरभ किये जाने की तिथि	11.10.2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	26.10.2023
निर्णय की तिथि	26.10.2023
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	कुछ नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका अपराध है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई

							निरोध की अवधि
1	राकेश पुत्र श्री जगन्नाथ	–	22.02.2023	धारा 279, 337 भा.दं. सं., धारा 3सहपठित धारा 181, 146 सहपठित धारा 196	दोषमुक्त	–	–

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षियों की सूची :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.–1	योगेश	आहत

ख. बचाव साक्षियों की सूची–निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षियों की सूची–निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :–

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.–1 / अ.सा.–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी.–2 / अ.सा.–1	मौका नक्शा
3.	प्रदर्श पी.–3 / अ.सा.–1	पुलिस कथन

ख. अभियुक्त–

ग. न्यायालयीन प्रदर्शः–

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	–	–

घ. आवश्यक वस्तुएंः–

सं.क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	–	–

आरक्षी केन्द्र लालबाग, जिला बुरहानपुर म.प्र. के अपराध क्र.—28 / 2023 अंतर्गत धारा 279, 337 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 सहपठित धारा 181, 146 सहपठित धारा 196 से उद्भूत आपराधिक प्रकरण।

अभियुक्त पर दिनांक 25.01.2023 को रात्रि लगभग 08:00 बजे आरक्षी केन्द्र लालबाग, जिला बुरहानपुर म.प्र. अंतर्गत ग्राम बहादरपुर स्थित सेल टेक्स बैरीयर के पास लोकमार्ग पर वाहन मोटर साईकल क्रमांक एम.पी. 68 एम. 9830 को बिना बीमा व अनुज्ञप्ति के उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने व उक्त वाहन से आहत योगेश को उपहति कारित करने का अभियोग है, जो भा0द0सं0 की धारा 279, 337 व धारा 146 सहपठित धारा 196, 3 सहपठित धारा 181 मोटरयान अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य है कि आहत व अभियुक्त ने आपसी समझौते के आधार पर अपराध का शमन करा लिया है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को भा0दं0सं0 की धारा 337 के संबंध में आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

3. अभियोजन कथा संक्षिप्ततः यह है कि आहत योगेश दिनांक 25.01.2023 को रात्रि लगभग 08 बजे बिरोदा से उसकी मोटर साईकल क्रमांक एम.पी. 68 एम.सी 2151 से अपने दोस्त राजू को पीछे बिठाकर बहादरपुर सामान लेने जा रहा था। वे आरक्षी केन्द्र लालबाग, जिला बुरहानपुर म.प्र. अंतर्गत ग्राम बहादरपुर स्थित सेल टेक्स बैरीयर के पास पहुँचे, तभी टेक्समो पाईप फेक्ट्री की तरफ से एक मोटर साईकल का चालक अपनी मोटर साईकल को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी मोटर साईकल को टक्कर मार दिया, जिससे वह मोटर साईकल सहित जमीन पर गिर गया तथा उसे बाये पैर, घुटने, दाहिने हाथ व भुजा में चोट आयी। उसे राजु ने उठाया और टक्कर मारने वाले का नाम पूछने पर उसने अपना नाम राकेश बताया। राजू ने उसे अस्पताल पहुँचाया। उसके व्दारा घटना की रिपोर्ट किये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान आहत का चिकत्सकीय परीक्षण कराया गया। घटना स्थल का मानचित्र तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन अभिलिखित किये गये। अभियुक्त से वाहन जप्त किया गया। जप्तशुदा वाहन का परीक्षण कराया गया तथा आवश्यक अनुसंधान उपरान्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अपने अभिवाक् में अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण की मांग की।

5. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है कि :—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.01.2023 को रात्रि लगभग 08:00 बजे आरक्षी केन्द्र लालबाग, जिला बुरहानपुर म.प्र. अंतर्गत ग्राम बहादरपुर स्थित सेल टेक्स बैरीयर के पास वाहन मोटर साईकल क्रमांक एम.पी. 68 एम. 9830 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाया ?

2. क्या वाहन चलाने से मानव जीवन संकटापन्न कारित हुआ ?

3. क्या घटना स्थल लोकमार्ग था ?

4. क्या अभियुक्त ने बीमा प्रमाण पत्र व वाहन चालन अनुज्ञप्ति के बिना वाहन चालन किया?

5. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश, यदि कोई हो, तो ?

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04 का सकारण निष्कर्ष</u>

6. उक्त सभी विचारणीय प्रश्न के तथ्य अंतर्मिश्रित तथा परस्पर आश्रित होने के कारण तथ्यों व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को निवारित करने सभी प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आहत योगेश (अ0सा0–1) ने कथन किया है कि वह और राजू मोटर साईकल से बहादरपुर जा रहे थे। वे बहादरपुर बैरीयर के पास पहुॅचे, तो वहां सड़क पर मवेशी बैठे हुए थे। उसी समय सामने से एक मोटर साईकल आ रही थी तो मवेशी अचानक उठकर भागने लगे। उसने उन्हें बचाने के लिए मोटर साईकल को मोड़ा तो उनकी मोटर साईकल फिसल गई थी, जिस कारण वे गिर गये और उसे चोट आयी थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.–1 किया था। पुलिस ने उसके समक्ष मौका नक्शा प्र.पी.–2 तैयार किया था। उसंने अभियोजन अधिकारी व्दारा पूछे गये सूचक प्रश्न में वाहन के चालक व्दारा मोटर साईकल को तेजगति व लापरवाही से चलाकर उसे टक्कर मारने के कारण उसे चोट आने से इन्कार किया है। उसने पुलिस कथन प्र.पी.–3 देने से भी इन्कार किया है।

7. सेवानिवृत्त श्याम बिहारी तिवारी (अ.सा.– 3) ने कथन किया है कि दिनांक 27.01.2023 को आहत योगेश व्दारा सेल टेक्स बैरीयर के पास अभियुक्त व्दारा मोटर साईकल तेजगति व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारने के कारण उसे चोट आने के संबंध में रिपोर्ट किये जाने पर उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.–1 लेखबद्ध किया था। उसने प्रतिपरीक्षण में इन्कार किया है कि उसने रिपोर्ट अपने मन से लेखबद्ध किया है।

8. प्रधान आरक्षक सुनिल दुबे (अ.सा.– 2) ने कथन किया है कि दिनांक 28. 01.2023 को उसने घटनास्थल जाकर लीलाधर की निशानदेही पर मौका नक्शा प्र.पी.–2 तैयार किया था, जिसमें उसने बिन्दु क्रमांक ए से दर्शित निशान पर घटना होना पाया था। उसने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किया था। उसने अभियुक्त के पेश करने पर मोटर साईकल क्रमांक एम.पी.–68 एम. 9893 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.–4 तैयार किया था। उसने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसे जप्तशुदा वाहन का क्रमांक याद नहीं है। उसने जप्ती पत्रक में सील नमूना अंकित नहीं किया है। स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर बहुत सारे लोग आते जाते है और वहां पर गडडे है। उसने स्वीकार किया है कि मौका नक्शा में उल्लेखित व्यक्ति कैलाश चिप्स बनाता है और मुकेश का ईंट भटटा है। उसने इन्कार किया है कि उसने मौका नक्शा थाना में बैठकर तैयार किया है। उसने इन्कार किया है कि उसने अभियुक्त को फसाने के लिए असत्य कार्यवाही किया है।

9. आहत के परिसाक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन अधिकारी ने किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

10. आहत के अनुसार घटना के दिन उसे उपहति हुई थी। इस बिंदु पर बचाव पक्ष की ओर से उसे कोई चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी दशा में उसके परिसाक्ष्य पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः यह प्रमाणित है कि उसे दुर्घटना के परिणामस्वरूप उपहति कारित हुई है।

11. अभियोजन कथा के अनुसार आहत मोटर साईकल से जा रहा था, तभी सामने से मोटर साईकल ने उसे टक्कर मारा था, किन्तु स्वयं आहत के अनुसार मवेशी अचानक उठकर भागने लगे तो मवेशियों को बचाने के लिए मोटर साईकल को मोड़ने पर मोटर साईकल फिसलकर गयी थी, जिस कारण उन्हें चोट आयी थी। उसके व्दारा अभियुक्त व्दारा वाहन चालन कर उसे टक्कर मारने के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया गया है। उपहति के बिन्दु पर आहत सर्वोत्तम साक्षी होता है। हस्तगत प्रकरण में स्वयं आहत व्दारा अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है। अतः आहत के परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अनुमान इंगित करने की कोई परिस्थिति विद्यमान नहीं है।

12. यदि यह स्वीकार भी किया जावे कि आहत को किसी वाहन ने टक्कर मारी थी, तो भी आहत व्दारा वाहन का क्रमांक, चालक के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया गया है। ऐसी दशा में उसके परिसाक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त व वाहन की घटना में संलिप्तता को स्थापित नहीं किया जा सकता है।

13. परीक्षण के दौरान साक्षी के कथन से यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से वाहन चालन कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया हो।

14. अभियोजन कथा के अनुसार अभियुक्त द्वारा बिना अनुज्ञप्ति, बीमा प्रमाण पत्र के वाहन का चालन किया जा रहा था, किन्तु आहत अथवा अनुसंधानकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है। यह सत्य है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसके ज्ञान में उक्त तथ्य है, किन्तु किसी अपराध के आधारभूत तथ्य को साबित करने का भार सदैव अभियोजन पर होता है। अभियोजन द्वारा उक्त भार के उन्मोचन पर ही सबूत का भार अभियुक्त पर अंतरित हो सकता है। हस्तगत प्रकरण में किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा इस सम्बंध में कोई अभिकथन ही नहीं किये जाने के कारण अभियोजन अपराध के आधारभूत तथ्य को ही स्थापित नहीं कर सका है। ऐसी दशा में सबूत का भार अभियुक्त पर अंतरित नहीं हो सकता है। उक्त परिस्थिति में यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त द्वारा अनुज्ञप्ति, बीमा प्रमाण पत्र के बिना वाहन चालन किया जा रहा था।

<u>विचारणीय प्रश्न क्र0 04 के सकारण निष्कर्ष एवं अंतिम आदेश</u>

15. प्रकरण की परिस्थितियों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। परिणामस्वरूप अभियुक्त को भा0दं0सं0 की धारा 279 व मोटरयान अधिनियम की धारा 146 सहपठित धारा 196, 3 सहपठित धारा 181 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

16. प्रकरण में जप्तशुदा मोटर साईकल कमांक एम.पी. 68 एम. 9830 सुपुर्ददार / अभियुक्त के सुपुर्दनामा में है। उक्त सुपुर्दनामा सुपुर्ददार के पक्ष में भारहीन किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार व्ययनित किया जावें।

17. अभियुक्त प्रतिभूति पर है। उसके प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है।

आज दिनांक 26.10.2023 को
खुले न्यायालय में घोषित।

(अजय कुमार यदु)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर
जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(अजय कुमार यदु)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर
जिला– बुरहानपुर (म.प्र.)

मेरे द्वारा टंकित।
अशोक मुजाल्दे स्टेनोग्राफर

AJAY KUMAR YADU
Digitally signed by AJAY KUMAR YADU
Date: 2023.10.26 02:22:23 +0530